2

राजस्थान–सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक :–एफ–5(84)प्राशिनि/ई–1/सी–1/ 13493 दिनांक 17–10–2013

कोषाधिकारी,
कोष कार्यालय,
बीकानेर

विषय :– राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज, बीकानेर के प्राध्यापकों का छठा वेतन स्थिरीकरण एरियर बिल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ–9(3) एफडी (रूल्स)/2010 दिनांक 1.9.2010 द्वारा राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों हेतु छठे ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान जारी किये गये हैं। तत्पश्चात् तकनीकी शिक्षा विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 01–09–10 के नियम 4 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) नियम 2010 से आवर्त होने वाले वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता/ एटीपीओ/शैक्षणिक अधिकारी (सीनियर स्केल) को केरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के तहत सलेक्शन ग्रेड (राजस्थान सिविल सेवा) (राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2010 के तहत आदेश क्रमांक प.सं.8 (29) त.शि./पार्ट दिनांक 27–01–2011 के द्वारा सी.ए.एस. के आदेश जारी किये गये थे।

वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 9(3) एफडी (रूल्स)/2010 दिनांक 27–05–2011 के द्वारा जारी अधिसूचना राजस्थान सिविल सेवा नियम 2010 राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिये संशोधित वेतनमान) के संशोधित करते हुये विद्यमान सिड्यूल 1 के सेक्शन बी के क्रम सं. 4 व 5 में निम्नानुसार नियम उद्धत किये गये हैं (प्रति संलग्न)।

चूंकि वेतनमान 2010, वित्त विभाग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् सी.ए.एस. के आदेश दिनांक 27–01–2011 के द्वारा आर.पी.एस.सी., कार्मिक विभाग तथा प्रशासनिक विभाग (त.शि) के सदस्यों की गठित कमेटी द्वारा अनुमोदनोपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये हैं एवम् तदनुसार प्रवक्ता सलेक्शन ग्रेड के सी.ए.एस. का लाभ दिया गया है। प्रधानाचार्य द्वारा केवल उक्त आदेशों की अनुपालना में सी.ए.एस. का इन्द्राज सम्बन्धित के सेवाभिलेखों में किये गये हैं। तत्पश्चात् निदेशालय के द्वारा 01–09–06 तक के छठे वेतनमान में वेतन नियतन उपरान्त प्रधानचार्य द्वारा कॉरसपोन्डिंग पे स्केल के वेतन नियतन संलग्न शिड्यूल 1 के सेक्शन बी के क्रम सं.

4 एवं 5 में उल्लेखित वेतन श्रृंखला अनुसार वेतन नियतन किये गये हैं। यहां ये उल्लेखनीय है कि राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष घोषित है एवम् उनके द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर जो प्रवक्ता पी. बी. 4 की पात्रता रखते हैं, पूर्णतया परीक्षण कर पी.बी.4 दिया गया है, जो नियमानुसार है।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा

bishnoi @yahoo.com